न्यायालय श्रीमान् मुख्य नियंत्रक राजस्व प्रधिकारी ग्वालियर भोपाल

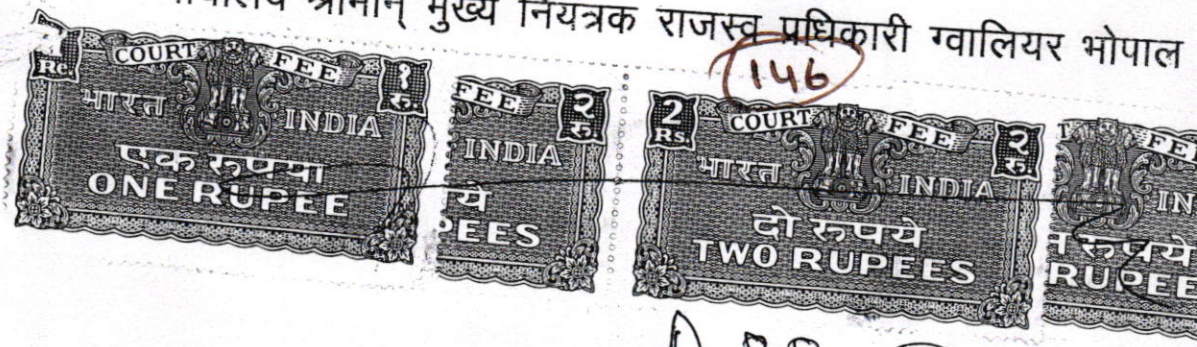

COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

(146)

A 880-III/08

RL.1326
22-24-7-08

1.विद्यामुनि गौतम उम्र 49 वर्ष

2.प्रमोद कुमार गौतम उम्र 37 वर्ष पेशा नौकरी

3.विनोद कुमार गौतम उम्र 34 वर्ष पेशा खेती

4.जयप्रकाश गौतम उम्र 32 वर्ष पेशा नौकरी सभी निवासी कौडिहाई उप. तह. सेमरिया तह. सिरमौर जिला रीवा म.प्र.

............................अपीलांट

क्र० 18/स्टा.मो./08
16-7-08

बनाम्

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प रीवा.

..............................रेस्पाडेन्ट

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 47 स्टाम्प अधिनियम बाबत् कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण क्रमांक 122बी /105/ 98–99 दिनांक 28/0/01 एवं आयुक्त संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 284/अपी. /03–04 में पारित आदेश दिनांक 2/5/08 को निरस्त किए जाने हेतु।

दिनांक 16-7-08 को प्राप्त
16-7-08

क्रमांक 1263 आज रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा दिनांक 22-7-08 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

महोदय,

अपील के आधार निम्न हैं –

1. यह कि अधी.न्यायालय का निर्णय विधि प्रकिया एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों में अंकित तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

2. यह कि विक्रीत भूमि को क्रय करने हेतु विक्रय दिनांक के एक वर्ष पूर्व निष्पादित अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार दिनांक 18.8.99 को विक्रय पत्र निष्पादित कराकर पंजीयन कराया गया था। तथा भूमि की किस्म जिसका समर्थन विक्रीत भूमियों के खसरा जो कि विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया गया है के द्वारा भी प्रमाणित है को अनदेखा करते हुए मनमाने तौर पर और बगैर किसी प्रमाण के निष्कर्ष निकाल कर आदेश पारित किया गया है वह निरस्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

जिला–रीवा

प्रकरण क्रमांक अपील 880–तीन/2008

थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
~~26-9~~–16 26/9/16	अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता बिन्दु पर सुना गया । 2/ अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो अपील मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र0 284/अपील/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 02.05.08 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899(आगे जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 47 के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि उपपंजीयक के द्वारा प्रकरण में 3 वर्ष की औसत गाइड लाईन के आधार पर बाजार मूल्य प्रस्तावित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी वर्ष 97–98, 98–99, 99–2000 का अलग–अलग औसत मूल्य निकालते हुये बाजार मूल्य निर्धारित किया ओर उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने 10 प्रतिशत की कमी करते हुये बाजार मूल्य निर्धारित किया गया ।	

म0प्र0 न्यून मूल्यांकन निवारण नियम 1975 के नियम 5 के अनुसार जो दिशा निर्देश दिये है उसी के अनुसार स्टाम्प कलेक्टर ने बाजार मूल्य निर्धारित किया है जो विधिसम्मत है । जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने अपने आदेश दिनांक 02.05.08 से इसकी पुष्टि की है । फलतः अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य